Mr. Chairman: I think the hon Member is likely to take some more time. He may continue tomorrow We will now take up the Half-an-Hour Discussion.

18 hrs.

*GHAT TO GHAT BOOKING BETWEEN MAHENDRA GHAT AND PAHLEZA GHAT

श्री राजेन्द्रसिंह (छपरा) सभापति महोदय, इस सदन के सामने दो प्रश्न हैं। पहला तो यह है कि जब आप बिहार के भौगोलिक और प्राकृतिक नक्शे की ओर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि बिहार के मध्य से गगा बहती है, बिहार के दो भागो को गगा विभक्त करती है। इन दोनो भागो का सम्बन्ध स्थापित करने मे तथा एक भाग से दूसरे भाग में पहुचने में हमको गगा को पार करना पड़ता है। यह भी याद रखने की चीज है कि पटना जो कि बिहार राज्य की राजधानी है, वह गगा से ऊपर बसा हुआ है। जिन लोगो को उत्तर बिहार मे पटना जाना होता है उन्ह गगा को पार करना पड़ता है। इसी तरह से दक्षिण बिहार के लोगो को जब उत्तर बिहार जाना होता है तो गगा पार करनी पड़ती है। तब प्रश्न उठता है कि इसको पार कैसे किया जाता है ? रल का जहाज इस नदी में चलता है और वही एक साधन है जिससे कि लोग उत्तर से दक्षिण और दक्षिण के उत्तर बिहार से सम्बन्ध स्थापित करते है। कोई भी आदमी हिन्दुस्तान मे एक स्थान से दूसरे स्थान जाना चाहता है तो यह उसकी इच्छा पर निभर करता है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है कि जिस तरह से चाहे जाये, जहा चाहे जाए और जहा से चाहे आए। उसके ऊपर कोई भी किसी प्रकार का प्रतिबन्ध नही है कोई उसके रास्ते में रुकावट नही है। मगर यह अभागा बिहार बहुत से हालात में बहुत से दृष्टिकोणो से केन्द्रीय सरकार की ओर से उपेक्षित रहा है। मगर मै समझता हू कि यह और भी ज्यादा तकलीफ की बात है कि रेलवे की ओर से भी बहुत से भागो मे, बहुत से मानो में यह उपेक्षित रहा है।

सभापति महोदय, यह गौर करने की बात है कि अगर आदमी पटना के उस पार जाना चाहे तो जहाज का टिकट उसको नही मिल सकता है। उसके ऊपर यह बात जबरन लादी जाती है कि अगर तुम जहाज पर सफर करना चाहो तो तुम को रेल का टिकट कटाना पड़ेगा। मै पूछना चाहता हू और इस सदन के सामने अपनी यह शिकायत रखना चाहता हू कि क्या यह सही नही है कि अगर मै दिल्ली का निवासी हू और गाजियाबाद जाना चाहता हू तो मैं एक टिकट कटा सकता हू गाजियाबाद का और जा करके वापस टिकट लेकर आ सकता हू या नही आ सकता हू ? आप मानेंगे कि मै ऐसा कर सकता हू। मगर पटना का आदमी अगर पहलेजा घाट जाना चाहे तो उसके लिये यह कर सकना मुमकिन नही है और अगर वह इस तरह की हिमाकत करेगा तो उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। अभी हाल ही मे इस सदन के अन्दर एक सख्त सा कानून बनाया गया है जिसमे यह दर्ज था कि जो लोग बिना टिकट सफर करते हुए पाए जायेंगे, उनको सख्त सजा मिलेगी कड़ी सजा मिलेगी। अगर कोई आदमी पहलजा घाट से पटना जाना चाहता है तो हालाकि उसकी कोई मंशा नही है, कोई ख्वाहिश नही है कि वह आपका कानून तोड़े या बिना टिकट के जाय, लेकिन पहलेजाघाट से पटना जाने में वह सजा का भागी बनेगा, उसको दड मिल सकता है, उसको नाना प्रकार की कानूनी यातनायें दी जायेंगी। यह कहा तक सही है ? मेरी रेलवे के अधिकारियो से चर्चायें हुई, उन्होंने कहा कि इसमें हमारा कुसूर नहीं है कुसूर प्रान्तीय सरकार का है। मगर मैं सोचता हू कि यह रेलवे मत्रालय की एक लचड़ी दलील

*Half-an-Hour Discussion.

है । सन् १८८५ ई० में जबकि यहां पर बर्तानिया सल्तनत थी, उसने एक कानून बनाया था कि जो प्राइवेट फेरी सर्विस है उसको पब्लिक फेरी सर्विस में किस तरह से लाया जायेगा, उसके ऊपर कलेक्टर का क्या अधिकार होगा, और क्या कमिश्नर का अधिकार होगा । वह बहुत पुराना कानून है । गंगा के प्रवाह में न जाने कितना पानी बंगाल की खाड़ी में पहुंच गया होगा क्योंकि करीब ६० या ७० वर्ष गुजर चुके हैं । इन ७० वर्षों के अन्दर हिन्दुस्तान से बर्तानिया सल्तनत गई, अपनी सल्तनत कायम हुई, हमने अपने स्वतन्त्र भारत के लिये एक संविधान की रचना की, मगर वह कानून वहां वैसे का वैसा पड़ा हुआ है । आज मैं सदन के सामने पूछना चाहता हूं कि जब हर भारतीय को यह अधिकार है कि वह अपनी रुचि के मुताबिक, स्वतन्त्रता के साथ, बिना किसी प्रतिबन्ध के, जितनी चाहे यात्रा कर सकता है तब अभागे बिहार के यात्रियों के साथ यह क्या अन्याय है कि अगर वह अपने घर से पटना को, बिहार की राजधानी को, जाना चाहे और राजधानी से वापस अपने घर को आना चाहे, तो उसके ऊपर यह प्रतिबन्ध लगाया जाता है कि वह नदी को नहीं पार कर सकता है ? यह दलील दी जाती है कि यह तो प्रान्तीय सरकार के हाथ में है और इससे प्रान्तीय कर जोखिम में पड़ जायेगा इसलिये इस बात को रक्खा जाता है । लेकिन मैं आपका ध्यान संविधान के ७वें अनुबन्ध की ओर दिलाना चाहता हूं । उसकी पहली सूची के खंड २४ में कहा गया है :

"Shipping and navigation on inland waterways, declared by Parliament by law to be national waterways, as regards mechanically propelled vessels; the rule of the road on such waterways."

इस ७वें अनुबन्ध की १ली सूची में यह साफ कहा गया है कि किस विषय में संघ की सरकार को कौनसा अधिकार प्राप्त है । उसमें कहा गया है कि जलपथ पर अगर यांत्रिक शक्ति का उपयोग किया जाय तो संघ सरकार को यह हक हासिल है कि वह कानून बना कर घोषणा करे उसके ऊपर उसका अधिकार चल सकता है । मेरा इशारा नाव की ओर नहीं है, कंट्री बोट की ओर नहीं है, मेरा इशारा केवल जहाज की ओर है जो कि यांत्रिक शक्ति से चलता है ।

मेरे प्रश्न के उत्तर में कहा गया था कि बिहार की सरकार ने लोगों के इस पार से उस पार जाने का इन्तजाम रक्खा है इसलिये रेलवे लोगों को सीधे टिकट कटाने की इजाजत नहीं देती । मेरे बहुत से दोस्त, चाहे वे इस पक्ष के हों या दूसरे पक्ष के, पटना गये होंगे । पटना के गोलघर से, एक किनारे से देखा होगा कि जिस दिन से गंगा में बाढ़ आती है, पानी उसके किनारों में भर जाता है और किसी के लिये भी पांच महीने तक काठ की नाव पर गंगा पार करना अपनी जान के साथ खिलवाड़ें करना होता है । इसलिये उसको जहाज पर ही नदी को पार करना होता है । गर्मी के दिनों में गंगा का घाट बहुत बड़ा हो जाता है । उसमें बहुत सी धारायें हो जाती हैं । वे धारायें ऐसी नहीं होतीं कि आदमी एक नाव से नदी को पार कर पटना पहुंच जाये या पटना से उस पार पहुंच जाये । उसको अनेक धारायें पार करनी होती हैं । बहुत से सोते होते हैं, बालू के ढेर होते हैं । अगर एक आदमी नाव से ही पटना जाना चाहे तो उसका सारा दिन गुजर जाता है । यह मेरा ही तजुर्बा नहीं है, हमारे दूसरे साथी जो बिहार से आते हैं और मेरे जैसे ही बद-नसीब हैं, जिनको गंगा के किनारे रहना होता है, उन सब का यह तजुर्बा होगा ।

दूसरी बात यह है कि पहले हमारे यहां सड़कों का बहुत उत्थान नहीं हुआ था, सड़कों द्वारा यातायात के साधन में उस समय बहुत प्रगति नहीं हुई थी, मगर इधर काफी प्रगति हुई है । सारन जिले से, जहां से मैं आता हूं, मुजफ्फरपुर जिले से, चम्पारन जिले से, दरभंगा जिले से लोग पहले रेलगाड़ी से आते

[श्री राजेन्द्र सिंह]

के १ इन जिलों में रेलगाड़ी की यात्रा की सुविधा कैसी है, इस विवरण में मैं नहीं जाना चाहता। इस ओर जो प्रगति हो रही है उसको हमारे रेलवे मंत्री महोदय अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरे लोगों को भी यह मालूम है। यहां के लोग बस से आते हैं। वे सीधे घाट की ओर आते हैं और घाट से पार कर पटना की ओर जाना चाहते हैं। अगर मुजफ्फरपुर या दूसरे चार पांच जिलों से आने वाले घाट से पार करें तो उनको २००रु० जुर्माना देना होगा, उनको दो या तीन मास की कैद की सजा भी हो सकती है। इस तरह से उन लोगों को बड़ी मुश्किल है। मुझे इसका तजुर्बा है। लेकिन आप मेरी बात को तो छोड़ दीजिये। यह २ करोड़ निवासियों का प्रश्न है। आज हमारे मंत्री महोदय कह देंगे कि हमने मोकामा का पुल बना दिया है। इस के लिये बहुत बहुत धन्यवाद। मोकामा का पुल सरकार ने बनाया। वह कांग्रेस की सरकार है, उसके बारे में मेरी कुछ भी राय हो, लेकिन मोकामा का पुल बनाया और समय से पहले बनाया, इसके लिये रेल मंत्रालय को बहुत धन्यवाद है। मगर इस से उत्तरी बिहार की केवल आधी आबादी को ही फायदा हुआ है। लेकिन यह जो चार जिले हैं उनको यातायात के मामले में कोई फायदा होना सम्भव नहीं है। मेरे दोस्त विभूति मिश्र जी चम्पारन से आये हैं, पंडित द्वारका नाथ तिवारी जी हैं, इन दोनों से राय ले लीजिये। यह सम्भव नहीं है कि हम लोग बरौनी से जा कर पटना पहुँचें। मेरे जिले की आबादी ४० लाख है, मुजफ्फरपुर की आबादी करीब ४० लाख है, दरभंगा जिले की भी करीब २६ लाख है। इसी तरह से चम्पारन भी है। जितने लोग इधर से पटना को जाते हैं उतने ही लोग पटना से इधर को आते हैं। लोगों की शादी ब्याह का सवाल है, आपस के सम्बन्ध हैं, सरकारी नौकर हैं, पचास तरह के रिश्ते हैं। उन सब का यह प्रश्न है। हम केवल यह सुविधा चाहते हैं कि लोगों को इजाजत हो जाय कि पटना से पहलेजा घाट तक वे बिना किसी प्रतिबन्ध के यात्रा कर सकें।

एक और सवाल उठ सकता है। यहां कहा जायेगा कि हमने यह घाट प्रान्तीय सरकार को दे दिया है, और प्रान्तीय सरकार के कर के ऊपर इसका बुरा असर पड़ेगा। दस दिन की बात है, एक आदमी को २ लाख ७० हजार का ठेका घाट का दिया गया। सब से कम बिड ७४ हजार का था। इस बात से जाहिर है कि प्रान्तीय सरकार को पैसे की कमी नहीं है। वह दूसरे तरह से पैसों की बरबादी कर रही है।

पंडित द्वा० ना० तिवारी (केसरिया). इस बात को यहां लाने से क्या फायदा ?

श्री राजेन्द्र सिंह : आज आप को यह सरकार प्रिय है आप इसलिये ऐसा कह रहे हैं अगर मुझे प्रिय नहीं है तो क्या करूं? लेकिन खैर यह दूसरा सवाल है। आप देख लीजिये, सभापति महोदय, कहीं पर भी एक्सेस फेअर नहीं लिया जाता है। ज्यादा किराया लेना जुर्म है। हमारे यहां के अभागे आदमी के साथ यही अन्याय नहीं है कि वह इस पार से उस पार तक रेल की यात्रा नहीं कर सकता है बल्कि उसके साथ यह भी है कि वह बाढ़ के दिनों में ज्यादा से ज्यादा ८ या १० मील की यात्रा करता है, गर्मी के दिनों में मुश्किल से ३ या ४ मील की यात्रा करता है। मगर ३२ मील का किराया हमको देना पड़ता है। अब यह कितनी बड़ी गैर इंसाफी और अन्याय हमारे साथ होता है। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के जमाने में जो हमारे ऊपर अन्याय होता था वह तो होता ही था लेकिन यह बड़े आश्चर्य और दुःख का विषय है कि आज जब कि खुद हमारे

देशवासियों की हुकूमत है तब इस तरह का अन्याय हो ।

अब आप कहेंगे कि साहब जहाज चलाने में ज्यादा पैसा खर्च होता है और सभव है कि ऐसा हो और ज्यादा पैसा खर्च होता हो लेकिन वह ज्यादा पैसा मैं समझता हूं कि आपकी बदइंतजामी की वजह से खर्च होता है । खैर चूंकि अब समय नहीं है इस लिए मैं इस बारे में चर्चा नहीं करना चाहता लेकिन यह कितने अंधेर की बात है कि ६ मील की तो मैं यात्रा करू और ३२ मील का मुझे किराया देना पड़े । मैं समझता हू कि उड़ीसा के बाद अगर सब से कम आय किसी प्रान्त की है तो वह हमारे बिहार प्रान्त की है । अब जहा देश की व्यक्तिगत आय २५० करोड रुपये से ज्यादा होती है वहा बिहार में लोगो की व्यक्तिगत आय केवल १५० करोड से कुछ ही ज्यादा होती है ।

६ मील का सफर करने पर मैं ३२ मील का किराया दू यह कहा का इसाफ है ? अब उनकी यह दलील कि स्टीमर के चलाने में अधिक वक्त लगता है, मैं समझता हू कि सिर्फ दलीवल के लिए ही दलील है ।

सभापति महोदय अब माननीय सदस्य अपनी बात समाप्त करे । वे १५ मिनट ले चुके हैं ।

श्री राजेन्द्र सिंह ठीक है मैं ही अकेला बिहार के सम्बन्ध में बोलने वाला हू । मैं आपकी आज्ञा से केवल दो मिनट और लूगा ।

अब यह कहना कि पैसा ज्यादा खर्च होता है मेरे पास वक्त नहीं है नहीं तो मैं आंकडे देकर दिखलाता कि सैकडों हमारी सैक्शनल रेलवे लाइनें हैं जिन पर कि गाडी चलाने से रेलवे को घाटा होता है । हमारे वहां जहां पर सैक्शनल लाइनें होती है वहां गाड़ियां चलाने से घाटा होता है लेकिन फिर भी रेलें वहां पर चलती हैं । रेलवे सिर्फ एक राष्ट्रीय यातायात या लाभ का ही साधन नहीं है मगर इसके साथ ही साथ इसका एक राष्ट्रीय पक्ष भी है लोकोत्तर पक्ष भी है । अब सभापति महोदय, चूंकि आप मुझे और अधिक समय देने को तैयार नहीं हैं हालांकि मुझे अभी बहुत कुछ निवेदन करना था, मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं और शायद मेरे एक आध माननीय मित्र भी कुछ निवेदन करना चाहें ।

मैं अन्त में केवल यही रेलवे मंत्री महोदय से निवेदन करूगा कि बिहार के साथ यह अन्याय नहीं होना चाहिये और मैं आशा रखता हूं कि जिस तरह के अध्यक्ष महोदय ने कृपा करके बिहार निवासियो की तकलीफ रखने के वास्ते सदन में आध घटे की चर्चा की अनुमति दी उसी तरह रेलवे के मंत्री महोदय भी इन प्रश्नो के ऊपर कोई बंधे हुए ख्याल से विचार न करके एक मुक्त मानस और निस्पृह होकर रोशनी डालेंगे और बिहार के साथ जो अन्याय हुआ है उसको वह वापिस लेंगे और इसके लिए बिहार के निवासी रेलवे मंत्री महोदय के बहुत ही अनुग्रहीत रहेंगे ।

पंडित द्वा० ना० तिवारी सभापति महोदय मैं आपके द्वारा मिनिस्टर महोदय से यह जानना चाहूगा कि यह जो पाबन्दी लगाई है वह कितने दिनो से लगाई है ? मुझे याद है कि कुछ वर्ष पहले घाट टू घाट बुकिंग होती थी । मैं जानना चाहता हूं कि कब से यह बंद की गई और किस वजह से बंद की गई । इसका क्लैरिफिकेशन हो जाना चाहिये ।

Shri D. C. Sharma (Gurdaspur): May I know if restrictions like this exist anywhere else or they exist only at Patna to which the hon. Member has referred?

रेलवे उपमंत्री (श्री साहनवाज खां) आदरणीय सभापति महोदय, मेरे मुअज्जिज

[श्री शाहनवाज खां]

दोस्त श्री राजेन्द्र सिंह ने जो घाट टु घाट महेन्द्र घाट और पहलेजा घाट के लिए पैसेंजर्स न बुक करने का सवाल उठाया है उस सवाल के बारे में इसी सदन में क्वेश्चन अवर में मैं कई बार जवाब दे चुका हू । हकीकत यह है कि घाट टु घाट बुकिंग का जहा तक सवाल है तो पटना की साइड पर एक महेन्द्र घाट और दिग्घा घाट है और गगा के उस पार पहलेजा घाट है और इन दोनो घाटों के दरमियान जो फैरीज या कट्टी बोट्स चलती हैं उनके लिए ठेका या जो लीज है, बिहार गवर्नमेंट ने पटना गेजेज फैरी सर्विस के साथ एक खास मुआहिदा करके उनको इसका ठेका दिया है । इस ठेके के कारण जो वहा मुसाफिरो को तकलीफ उठानी पडती हैं उनसे रेलवे मत्रालय अच्छी तरह से वाकिफ है और हमारी तमामतर हमदर्दी उन लोगो के साथ है । हमने एक वक्त बिहार गवर्नमेंट से यह पेशकश की थी कि रेलवे को इसके लिए इजाजत दी जाये ताकि हम घाट टु घाट बुकिंग कर सके । बिहार गवर्नमेंट ने हमको यह कहा कि अगर हम आपको इसकी इजाजत दे दें तो जिन कम्पनियो के साथ हमारा मुआहिदा हुआ है, उसकी खिलाफवर्जी होगी । और जो बिहार गवर्नमेंट का नजरिया था उस नजरिये को मिनिस्ट्री आफ ला ने भी अपहोल्ड किया और उसकी तारीफ की । तो यह हमारी कठिनाई है । यह बात नही है कि हम वहा के लोगो के लिए कुछ नही करना चाहते । हमारी हमदर्दी उनके साथ है ।

मैं सदन को यह भी बता दू कि दिसम्बर सन् १९५४ में बिहार गवर्नमेंट ने रेलवे मिनिस्ट्री से यह कहा था कि आप हमारे एजेंट बन कर पावर फैरी सर्विस को चलाइये रेलवे विभाग ने उस चीज को भी मंजूर किया और जो शरायत बिहार गवर्नमेंट ने हमारे सामने रक्खी हमने उन शरायत की बिना पर एस्टिमेट्स बनाकर बिहार गवर्नमेंट को भेज दिये । बिहार गवर्नमेंट का नजरिया यह था कि आप हमारी तरफ से फैरी चलाइये और जितने अखराजात होते हैं अगर नफा होता है तो वह हमको क्रेडिट कर दें और अगर घाटा होता है तो वह हम पूरा कर देंगे । हमने अपना एस्टिमेट बना कर और अपनी दूसरी जो छोटी मोटी शरायत होती थी वह सब बिहार गवर्नमेंट को भेज दी । रेलवे ने जो एस्टिमेट लगाया वह यह था कि यह जो पावर फैरी सर्विस रेलवे अलग से औपरेट करे और उससे जो आमदनी आयेगी यह ३ लाख ८ हजार और ५०० रुपये सालाना होगी और उसके ऊपर जो खर्चा आयेगा वह ४ लाख ५८ हजार ८०० रुपये अर्थात् उसमें लगभग डेढ लाख रुपये का घाटा रहेगा । यह हमारा अनुमान था । तो हमने जो यह अन्दाजा लगाया था कि डेढ़ लाख का घाटा रहेगा इससे बिहार गवर्नमेंट पूरे तौर पर इत्तिफाक नही कर सकी । हमने जो अन्दाजा लगाया था इसमें रेलवे ने एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज के लिए ६२ हजार की एक रकम लगायी थी । यह खर्चा कुल आमदनी का २९ ८५ फीसदी है । बिहार गवर्नमेंट ने इस बात पर ऐतराज किया कि यह रकम बहुत ज्यादा है और एडमिनिस्ट्रेटिव चार्ज २९·८५ फीसदी के बजाये ७ ५ चार्ज किया जाये । हमें यह पता नही कि उन्होने यह ७ ५ किस बिना पर कहा । लेकिन मेरे ख्याल में यह कोई बडा मसला नही है और हमने अपने रेलवे के जनरल मैनेजर को लिखा है कि वह बिहार गवर्नमेंट के साथ जहा तक जल्द हो सके बात चीत करके इस मसले को हल करे ताकि वहा पर जो लोगो को तकलीफ हो रही है वह दूर हो । मुझे उम्मीद है कि जल्द ही कोई तस्फिया हो जायेगा और मैं उम्मीद करता हू कि यहा पर जो बिहार के नुमायन्दगान हैं, जो कि बिहार के लोगों की यहां नुमायन्दगी करते हैं, वह भी बिहार गवर्नमेंट से कहेंगे कि इस छोटी सी रकम

के ऊपर ज्यादा अड़चन न डालें और हम भी अपनी तरफ़ से डील करने की कोशिश करेंगे ।

इन अल्फाज के साथ मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी से जल्दी कोई अमली कदम उठाया जायेगा ।

पंडित हा० ना० तिवारी : एक सवाल का जवाब तो मिला ही नही । मैंने पूछा था कि यह घाट टू घाट बुकिंग कब से बन्द हुआ है । मुझे याद है कि जब मै कालिज में पढता था उस वक्त तो यह बुकिंग होता था । यह कब से बन्द हुआ है और क्यों बन्द हुआ है ?

श्री शाहनवाज खां : इस वक्त तो मै इसका जवाब नही दे सकता । ठीक तारीख मुझे याद नही है ।

श्री बिभूति मिश्र (बगहा) : हम लोग जो चम्पारन से आते है उनको दो नदियां पार करनी पडती है, एक गडक और दूसरी गंगा । बरसात के दिनो में हमें बडी दिक्कत होती है । चम्पारन, मुजफ्फरपुर, दरभंगा के लोग हाजीपुर तक आते है । रेल में ह को ज्यादा वक्त लगता है और बस में कम वक्त लगता ह । रेल मे दस घटा लगता है और बस मै पाच साढे पाच घटा ही लगता है । बरसात में हाजीपुर से पटना तक के छै मील के लिये ३० मील का किराया लगता है । तो बरसात के लिये तो ह यह रियायत कर दें ।

दूसरी बात यह है कि हमारे चीफ मिनिस्टर अक्सर यहां आते रहते हैं मिनिस्टर साहब खुद उनसे मिल लें । आपने जनरल मैनेजर को कहा है कि वह वहा जायेंगे तब चीफ मिनिस्टर से बात करेंगे इसमें बहुत समय लगेगा । आजकल तो पीपल्स गवर्नमेंट है । क्यों न मिनिस्टर साहब हवाई जहाज से जाकर चीफ मिनिस्टर से बात कर लें । वहां वैसे जाने का रास्ता बहुत टेढ़ा मेढ़ा है ।

महेन्द्र घाट पर जहाज पर चढ़ने की जगह नही मिलती । इंजीनियर के लिये बंगला लेने में दो साल निकल गये । हमें महेन्द्र घाट पर तिल रखने को जगह नही मिलती । यह सब मामला है किया जाये ।

श्री राजेन्द्र सिंह : मै भी वही कहना चाहता हूं जो कि अभी मिश्र जी ने कहा है। यह जो सोनपुर से पटना तक एक्सप्रेस फेअर लगता है इस पर मंत्री जी ने रोशनी नही डाली । कृपा करके इस पर भी रोशनी डाल दें । मैं चाहता हूं कि इसके बारे में भी ह कुछ उत्तर दें ।

श्री शाहनवाज खां : मैं इस सिलसिले में यह कहना चाहता हूं कि जो प्राइवेट फैरी सरविस वहा चल रही है घाट टू घाट बिहार गवर्नमेंट की तरफ से उसमें अपर क्लास के लिये ७५ नये पैसे किराया है और रेलवे फैरी का किराया जो मोहतरिम दोस्त ने कहा वह ३२ मील का चार्ज करते हैं, वह किराया भी ६९ नये पैसे है । तो जो प्राइवेट फैरी चार्ज करती है . . .

पंडित हा० ना० तिवारी : यह फिगर गलत है । फैरी १९ नये पैसे चार्ज करती है ।

श्री शाहनवाज खां : मैंने तो अपर क्लास के लिये कहा कि उसका किराया ७५ नये पैसे है ।

श्री राजेन्द्र सिंह : जो फिगर मंत्री महोदय ने दिया है वह गलत है । सोनपुर से महेन्द्र का किराया १९ नये पैसे है । मने टाइम टेबिल से वैरीफाई किया है कि प्राइवेट फैरी का किराया ३ आने है । मिनिस्टर साहब कहते है कि ७५ नये पैसे यानी १२ आने है । यह किराया नही हो सकता । वह हमारा विश्वास करे । हम चार चार आदमी वहां के यह बात कह रहे हैं कि मंत्री जी को गलत फिगर दिये गये हैं । इस पर गौर करके आप ऐसा कदम उठाइये ताकि बिहार के लोगों को मालूम हो कि यह सर-

[श्री राजेन्द्र सिंह]

कार उनके साथ मन से हमदर्दी रखती है, केवल मौखिक ही नहीं ।

Mr. Chairman: Have you got anything more to add?

Shri Shahnawaz Khan: All that I have got to say now is that on the 15th of next month I propose going to Patna. I will personally go and pay my respects to the Chief Minister and try to do whatever is possible.

18·30 hrs.

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Wednesday the April 1, 1959/Chaitra 11, 1881 (Saka).